

## बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),  
पटना - 800001

विज्ञापन संख्या 02/2018, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन वाणिज्य निरीक्षक के 02 (दो) (जिसमें पूर्व से रिक्त 01 पद सामान्य वर्ग तथा संभावित रिक्त 01 पद पिछड़े वर्ग के लिए अनुमान्य है) स्थायी पद पर सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रदर्शित है।

सरकारी सेवकों को शक्तिमान प्राधिकार (authority empowered) द्वारा आवेदन अग्रसारित करा कर देना होगा। परन्तु वैसे सरकारी सेवक जो सम्पुष्ट हो चुके हैं वे उक्त विज्ञापित पद पर नियुक्ति हेतु सुपात्र नहीं होंगे।

2. वेतनमान :- वेतन स्तर 9 (53100-167800)

3. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव :- A Candidate for appointment as Inspector of Boilers must :-

a. Possess one of the following qualifications; namely :-

- A Board of Trade certificate as a first Class Engineer,
- Associate Membership of the Institute of Mechanical Engineer,
- A degree in Mechanical Engineering from a recognised University;

b. have served apprenticeship of at least two years as a Mechanical Engineer or engine fiter in an engineering workshop of repute where steam engine and boilers are built or repaired;

Provided that in the case of a candidate possessing a degree in Engineering from a recognised University any time spent in practical training during the University Course any count towards the prescribed period of apprenticeship up to a maximum of one year;

- have had after completion of his apprenticeship two years further experience as a practical testing engineer of the design construction, maintenance and testing of steam engines and boilers;
- have knowledge of the various types of boilers used on land and of the purposes and functions of their component parts;
- be able to determine accurately the working pressure of a boiler in accordance with the Indian Boiler Regulation;
- have knowledge of the construction of, and materials used in the manufacture of boilers;
- have fair knowledge of the strength of the materials used in the manufacture of boilers and of the methods of carrying out mechanical test;
- have a knowledge of boiler defects and their causes and of remedies for corosure and scale-forming feed water;
- he able to take dimensions of boilers and to prepare neat hand sketches and drawing to scale;
- be able to repaře calculations for determining the strength of new and old boilers from his over measurement and the markers dimensions.
- must be able to read and write Hindi in the Devnagri script.

नोट:- अनुभव प्रमाण-पत्र निजी संस्थान के मामले में दखलकार द्वारा निर्गत होना चाहिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र/केन्द्र सरकार के संस्थान के संबंध में वैसे व्यक्ति जो सरकार से पत्राचार के लिए प्राधिकृत किए गए हों, उनके स्तर से निर्गत होना चाहिए।

4. उम्र सीमा - दिनांक 01.08.2017 को अधिकतम, अनारक्षित वर्ग (पुरुष) -37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित वर्ग (महिला)- 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।

एल.पी.ए. संख्या- 1016/04 में दिनांक- 11.10.2004 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में पूर्व के विज्ञापन संख्या- 97/98 में जिन उम्मीदवारों के द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भरे गए थे, उनके लिए सामान्य वर्ग के एक पद हेतु उम्र सीमा नये सिरे से विज्ञापित पद पर बाधक नहीं होगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों,

उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 13062, दिनांक- 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. चयन का आधार - साक्षात्कार एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

आयोग की प्रक्रिया नियमावली, 1996 के Chapter IV Recruitment by Selection में निहित प्रावधानों के आलोक में रिक्ति/रिक्तियों के अनुपात में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर प्रवेशिका (Matriculation) से पद हेतु न्यूनतम अपेक्षित योग्यता तक की प्रत्येक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के योग को परीक्षाओं की कुल संख्या से भाग देकर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी एवं रिक्ति के पाँच गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(a) साक्षात्कार के लिए 100 अंक एवं शैक्षिक योग्यता के लिए 100 अंक होंगे।

शैक्षिक योग्यता के लिए निर्धारित 100 अंको का परीक्षावार विवरण निम्न प्रकार होगा :-

मैट्रिक	- 10 अंक
इन्टरमीडिएट/+2	- 20 अंक
स्नातक	- 60 अंक
स्नातकोत्तर	- 10 अंक

कुल - 100 अंक

(b) साक्षात्कार एवं शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जायेगी।

6. आरक्षण :-

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल)/मूल निवास प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vi) ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में दिव्यांगता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

## 7. शुल्क :-

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 25/- (पचीस) रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/- (एक सौ) रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान चालान के माध्यम से अथवा ऑनलाइन कर सकते हैं।

चालान के माध्यम से अभ्यर्थी को उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त बैंक चार्ज (GST सहित) 59/- (उनसठ) रुपये यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को कुल 84/- (चौरासी) रुपये एवं अन्य उम्मीदवारों को कुल 159/- (एक सौ उनसठ) रुपये आयोग के खाता संख्या 37601685727 में स्टेट बैंक इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाम का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस सदम में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. उम्मीदवार निदेशी (रेफरीज) के रूप में ऐसे दो व्यक्तियों के नाम जो उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से परिचित हो और जो संबंधी नहीं हो। उम्मीदवार ऐसे व्यक्तियों के लिखित प्रशंसा-पत्र तभी पेश करें या कॉलेज के प्राध्यापक या प्राचार्य का नाम तभी निर्दिष्ट करें जबकि वे उम्मीदवार के घरेलू जीवन से परिचित हों।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	28.04.2018 से 15.05.2018 तक
2.	चालान अथवा ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने एवं उसकी विवरणी डैशबोर्ड पर भरने की अंतिम तिथि	15.05.2018
3.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	18.05.2018
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं चालान की प्रति/ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद प्राप्त होने की अंतिम तिथि	25.05.2018 के अपराह्न 05:00 बजे तक

नोट-1: ऑनलाइन भुगतान (Online Payment) के लिए दिनांक- 13.05.2018 तक किया गया रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। दिनांक- 13.05.2018 के बाद किए गए Registration में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं मिलेगी।

नोट-2: ऑनलाइन भुगतान करने के लिए लिंक, रजिस्ट्रेशन करने के 48 घंटे बाद उपलब्ध होगा।

नोट-3: ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि उनका भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है एवं आयोग को निर्धारित परीक्षा शुल्क प्राप्त हो गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त तत्काल उसी समय भुगतान रसीद (e-Receipt) प्रिंट कर लेंगे। भुगतान रसीद (e-Receipt) प्रिंट करने के उपरान्त ही डैशबोर्ड पर ऑनलाइन भुगतान की विवरणी भरेंगे। अगर ऑनलाइन भुगतान (Transaction Status)

Pending दर्शाता है, तो वह भुगतान मान्य नहीं होगा एवं उसके आधार पर भरा गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

नोट-4: भुगतान की विवरणी डैशबोर्ड पर भरने के 24 घंटे बाद ही ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अतः अभ्यर्थी दिनांक- 15.05.2018 तक निश्चित रूप से भुगतान विवरणी डैशबोर्ड पर भर लें।

नोट-5: ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी भी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न हैं।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार, चालान एवं डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं बैंक में चालान जमा करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नकद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्यवाही करेंगे।

10. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले रसाही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह शुक्रवार दिनांक- 25.05.2018 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित

प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :-

- (a) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के लिए);
  - (b) मैट्रिक का अंक पत्र;
  - (c) इंटर का प्रमाण-पत्र;
  - (d) इंटर का अंक पत्र;
  - (e) बी.ई./बी.टेक. का प्रमाण पत्र;
  - (f) बी.ई./बी.टेक. का अंक पत्र;
  - (g) एम.ई./एम.टेक. प्रमाण पत्र;
  - (h) एम.ई./एम.टेक. का अंक पत्र;
  - (i) Board of Trade certificate का प्रमाण पत्र;
  - (j) Board of Trade certificate का अंक पत्र;
  - (k) Associate Membership of the Institute of Mechanical Engineer का प्रमाण पत्र;
  - (l) Associate Membership of the Institute of Mechanical Engineer का अंक पत्र;
  - (m) अनुभव प्रमाण पत्र;
  - (n) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;
  - (o) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;
  - (p) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति/ऑनलाइन भुगतान से संबंधित डाउनलोड बैंक रसीद की प्रति;
  - (q) आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
  - (r) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
- (ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश-पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा तथा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि चालान पर अंकित Registration Number एवं हार्ड कॉपी पर अंकित Registration Number एक ही (same) है।
- (iv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, चालान की प्रति/बैंक रसीद एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
11. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।
  12. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
  13. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
  14. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।
  15. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

16. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
17. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेंगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।